



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022023-243954
CG-DL-E-28022023-243954

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 27, 2023/फाल्गुन 8, 1944

No. 113]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 27, 2023/PHALGUNA 8, 1944

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय)

(क्षेत्र संकार्य प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी 2023

सा.का.नि. 137(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रसंस्करण पद), भर्ती नियम, 2013 को, जहां तक कि उनका संबंध आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक, श्रेणी 'क' के पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग में आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'क' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'क' के भर्ती नियम, 2023 हैं।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना :** ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** — उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि से अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों से किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'क'	2*(2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4, (25500-81100 ₹0)

चयन पद है या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के साथ गणित एक विषय के रूप में रहा हो या समतुल्य (ii) कम्प्यूटर पर गति परीक्षा के माध्यम से आंकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए प्रतिघंटा 15000 कुंजी दबाव से अन्यून की गति परीक्षा अनिश्चित की जाएगी। टिप्पण : अर्हता, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) उसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक(प्रशासन), क्षेत्र संकार्य प्रभाग – अध्यक्ष; 2. उप निदेशक (प्रशासन), क्षेत्र संकार्य प्रभाग - सदस्य; 3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्र संकार्य प्रभाग - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए – 12018/13/2020-जेसीएम]

नवीन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION
(NATIONAL SAMPLE SURVEY OFFICE)
(FIELD OPERATIONS DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2023

G.S.R 137(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Field Operations Division, National Sample Survey Office (Electronic Data Processing Posts), Recruitment Rules, 2013, in so far as they relate to the posts of Data Entry Operator, Grade 'A', except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Data Entry Operator, Grade 'A', in Field Operations Division, National Sample Survey Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Statistics and Programme Implementation, National Sample Survey Office, Field Operations Division, Data Entry Operator, Grade 'A', Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** - These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification and level in the pay matrix.** – The number of said post, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post (1)	Number of posts (2)	Classification (3)
Data Entry Operator, Grade 'A'.	2* (2023) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.

Level in the pay matrix (4)	Whether selection post or non-selection post (5)
Level – 4 (Rs.25500 – Rs. 81100).	Not applicable.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 to 27 years. (Relaxable upto 40 years in case of Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.	(i) 12th Standard pass in Science Stream with Mathematics as a subject from a recognized Board or equivalent. (ii) A speed test of not less than 15000 key depressions per hour for data entry work to be ascertained through speed test on computer. Note: Qualification is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)
Not applicable.	Two years.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By direct recruitment through Staff Selection Commission. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director (Administration), Field Operations Division – Chairman; 2. Deputy Director (Administration), Field Operations Division – Member; 3. Senior Administrative Officer, Field Operations Division – Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/13/2020-JCM]

NAVEEN KUMAR, Under Secy.